(+) 15

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–16
(0755) 2464428,2466191Fax: 0755-2463742 e-mail:it.mppcb@rediffmail.com

कमांक 4161/प्लास्टिक/प्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांकः 15/07/16

प्रति,

श्री डॉ. एस.के. निगम,
वैज्ञानिक 'डी' (वरिष्ठ वैज्ञानिक)
सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली, पिन कोड–110032

विषयः– वार्षिक प्रतिवेदन प्लास्टिक बेस्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम 2011 के तहत् रिपोर्ट बावत्

उपरोक्त विषय के संदर्भ में वार्षिक प्रतिवेदन में (रिवाईस्ड फॉर्मेट) नियम 12 प्लास्टिक अपशिष्ठ (प्रबंध एवं हस्तन) नियम 2011 (वर्ष 2015–16) की जानकारी संलग्न है ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क.4162/मुख्यालय/जल उपकर शाखा/2016 भोपाल, दिनांक : 15/07/16

प्रतिलिपिः–

1. ऑचलिक अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, कटनी, देवास, गुना, ग्वालियर, सतना, सागर, धार,, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पीथमपुर की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया एकीकृत जानकारी का परीक्षण कर यदि कोई संशोधन हो तो अवगत कराये ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

Sri (Thakkar)
23/11/12

O/C

Annual Report on Implementation of Plastic Waste (Management &Handling)(Amendment) Rules, 2011

2015-16

Name of SPCB/PCC (1)	Estimated Plastic Waste generation per Annum in State/UTs (TPA) (2)	No.of registered Plastic Manufacturing/Recycling (including multilayer, compostable) units.(rule 9) (3)			No. of unregistered plastic manufacturing /recycling units.(in residential/un approved areas) (4)	Implementation of plastic Waste Management (PWM) e.g. Collection, Segregation & disposal (Co-Processing ,Road construction etc.) (Rule6) (Attach Separate Sheet) (5)	Partial or Complete Ban on usages of plastic Carry bags (Though Executive order)(Attach list of plastic/cities /towns) (6)	Status of Marking Labeling on carry bags. (Rule 8) (7)	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10) (8)	Recommendation of State Level Advisory (SLA) Body on implementation (Rule 11) (9)	No. of violations and action Taken on non-compliance of provisions of these rules (10)	Number of Municipal Authority under Jurisdiction and Submission of Annual report to CPCB (Rule 12) (11)
		Plastic Units	Compostable Plastic union	Multilayered Plastic sachets, pouches etc.								
MPPCB Bhopal	30884.47 MT	19	0	12	0	524.44 MT	District collector has issued order regarding in usages of Plastic Carry Bags in holi places Ujjain ,mandav Dhamnod, Dharampuri, Pithampur Badnawar, Manawar Sardarpur Dist. Dhar Ajadnagar (bhabhra) Dist- Alirajpur, Cantonment board sagar, orchha(T.garh) Satna, Sheopur, Amarkantak	3	Few Local Bodies carry bag price dished	yes Encl.-1	Court Case Manufacturer M/s Abhideep Plastic sagar in under Sec.15 in EP Act. letter issue 02 manuf. unit regarding compliance EP Act. raid conducted traders & shopkeeper of polythene carry bags About 200 Kgs. Sub standerd seized 2014-15	233

B 17 End. (1)

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल –16

क्रमांक 6129 / मुप्रनिबो / 2015 भोपाल,दिनांक 26/11/15

प्रति,

1. प्रमुख सचिव,
   नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन ,भोपाल
2. आयुक्त,
   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन,भोपाल
3. आयुक्त सह संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
4. आयुक्त
   उधोग विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
5. डॉ0 राकेश दुबे,
   संचालक ,
   आपदा प्रबंध संस्थान ,भोपाल
6. श्री एस.आई.अली,
   अध्यक्ष,
   सार्थक सामुदायिक विकास एव जल कल्याण संस्थान
   भोपाल

विषय :– **राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की दिनांक 05 / 11 / 2015 को अपशिष्ठ** प्लास्टिक प्रंबधन के संबंध में संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण ।

उपरोक्त विषय में प्रमुख सचिव,नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 05 / 11 / 2015 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

o/c

(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

R.o Bhopal

4 18 327

विषयः- प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के संबंध में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की दिनांक 05.11.15 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण ।

अपशिष्ठ प्लास्टिक (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 के नियम 11 के अधीन गठित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2015 को मध्यान्ह 1.45 बजे प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित कक्ष कमांक 327 में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :-

1 श्री संदीप यादव, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, म.प्र.शासन भोपाल
2 श्री आशीष सक्सेना, उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र.शासन भोपाल
3 श्री ए.ए.मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल
4 श्री एस.आई.अली, संचालक, सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्थान,भोपाल
5 श्री मयंक वर्मा, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
6 श्री नीलेश दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
7 श्री सुधीर द्विवेदी, उप संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान,भोपाल
8 श्री अजय चौबे, अतिरिक्त संचालक, उद्योग विभाग, म.प्र.शासन भोपाल
9 श्री एम.एल. पटेल, अधीक्षण यंत्री, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल
10 श्री राजेन्द्र मालवीय, मुख्य रसायनज्ञ, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

2 बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संयोजक, राज्य स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 17.09.2014 का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया जिसकी पुष्टि की गई।

3 बैठक में पूर्व बैठक के पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई :-

1 जिला दण्डाधिकारियों ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में प्रदेश के 12 नगरीय निकाय क्षेत्र में प्लास्टिक केरी बैग के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ।

2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा होशंगाबाद में डिमास्ट्रेशन तौर पर एक श्रेडर की स्थापना की जा रही है ।

3 भोपाल नगर निगम द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ठ के सीमेंट उद्योगों तक भेजने हेतु परिवहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

4 प्लास्टिक अपशिष्ठ के सहवहन के संबंध में कठिनाईयों के निराकरण हेतु सीमेंट उद्योगों के साथ समन्वय बैठक का आयोजन लम्बे समय से नहीं हुआ है ।

3 बैठक में की गई चर्चा उपरांत विभिन्न बिन्दुओं पर लिये गये निर्णय एवं कार्यवाही हेतु द्वारा दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैं :-

3.1 दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में जिन 12 नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्लास्टिक केरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित किया है उसके बाद प्लास्टिक अपशिष्ठ के संबंध में अध्ययन कर यह ज्ञात किया जाये कि अपशिष्ठ के उत्पन्न होने में कतने प्रतिशत की कमी आई है । उपरोक्त कार्य में एप्को द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों का सहयोग लिया जा सकता है ।

कार्यवाहीः एप्को, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

5

3.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, होशंगाबाद में लगाये गये–श्रेडर के संचालन पर निगरानी रखे व उसकी सफलता के आकलन उपरांत प्रदेश में 26 क्लस्टर में इस तरह की व्यवस्था की स्थापना हेतु समयबद्ध योजना बनाकर लागू करे।

कार्यवाहीः आयुक्तसह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास

3.3 म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट के सीमेंट क्लिन में सह भस्मन हेतु अपनाई गई व्यवस्था में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु सीमेंट उद्योग एवं नगरीय निकाय तथा एनजीओ के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन शीघ्र किया जाये ।

कार्यवाहीः नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एंव म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3.4 इन्दौर शहर में प्लास्टिक अपशिष्ठ के निष्पादन हेतु अपनाई जा रही व्यवस्था को प्रदेश के अन्य नगर निगमों में लागू करने हेतु संबंधित नगर पालिका आवश्यक कार्यवाही करें ।

कार्यवाहीः आयुक्तसह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास एंव संबंधित नगर निगम

3.5 प्लास्टिक कैरी बैग के समीप के राज्यों से आयात पर नियंत्रण हेतु वर्ष 2012 में जिला स्तर पर अंतरविभागीय समिति के माध्यम से कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु विभाग स्तर पर पुनः निर्देश जारी किये जायें ।

कार्यवाहीः नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एंव म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

3.6 प्लास्टिक अपशिष्ठ नियम के अन्तर्गत मौके पर जुर्माना किये जाने संबंधी व्यवस्था हेतु नियमों में तत्संबंधी प्रावधान करने बावत् विभाग की ओर से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाये ।

कार्यवाहीः नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सभी सदस्यों को धन्यवाद पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई ।

(ए0 ए0 मिश्रा)

सदस्य सचिव